



माननीय न्यायालय समआदरणीय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर  
केम्प उज्जैन म0प्र0

प्रकरण क्रमांक

/16 निगरानी

दिनांक - 1284 III-16

1. श्रीमती रामकन्याबाई पति रामसुख धाकड,
2. धरमचन्द पिता रामसुख धाकड
3. मंगलेश पिता रामसुख धाकड
4. श्रीमती गुडडीबाई पुत्री रामसुख धाकड
5. ललिताबाई पुत्री रामसुख धाकड
6. तुलसीबाई पुत्री रामसुख धाकड
7. संगीताबाई पुत्री रामसुख धाकड

निवासी ग्राम फतेहगढ तहसील दलौदा जिला  
मंदसौर म0प्र0 .....आवेदक/निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1. गोवर्धन पिता पन्नालाल धाकड नि.फतेहगढ
2. बापू पिता पन्नालाल निवासी फतेहगढ
3. मुन्नीबाई पति पन्नालाल निवासी फतेहगढ
4. जानीबाई पिता पन्नालाल निवासी नगरी
5. लीलाबाई पिता पन्नालाल निवासी नहारगढ

.....अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व मंदसौर  
म0प्र0 प्रकरण क्रमांक 41/अपील/2012-2013 में पारित  
आदेश दिनांक 09/12/2015 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर  
उक्त निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व  
संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत है

माननीय महोदय,

प्रार्थी आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि, ग्राम फतेहगढ में स्थित भूमि के संबंध में गोवर्धन पिता

50

म.प्र. न्यायालय  
उज्जैन  
13/4/16

39  
14/4/16

50

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

50

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R 1287/III/16

जिला - मंडला

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.7.19	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी <u>अनुवृत्ति आदेश</u> के प्रकरण क्रमांक <u>41/कमी.म/12-13</u> में पारित आदेश दिनांक <u>9.12.15</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु <u>कलस्य मंडला</u> को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक <u>14.10.19</u> को <u>कलस्य मंडला</u> के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	